



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

Phone: 4256174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात निर्देशनालय

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं. २६०

मिति: २०७८/७/२२

विषय:- लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन।

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू
मिकलाजुड गाउँपालिका,
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,
रवि, पाँचथर।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन/ राजस्व/धरौटी/ अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोर्से सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण परीक्षण गरी मिति २०७८/६/२२ मा छलफल पश्चात् तयार गरिएको पाना २६(छब्बिस) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ।

कार्यालयवाट पेश भएको आर्थिक विवरणप्रतिको उत्तरदायित्व प्रचलित कानून वमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिको हो। लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान् वमोजिम आर्थिक विवरण परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु हो। प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७(१) वमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्यौंट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ। उक्त समयभित्र फछ्यौंट गरी सम्परीक्षण नगराएमा ऐनको दफा ३७(४) वमोजिम कारवाहीका लागि लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराइने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

श्री संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं -

प्रतिवेदन संलग्न छ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, पाँचथर -

प्रतिवेदन संलग्न छ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पाँचथर -


प्रतिवेदन संलग्न छ।

श्री प्रदेश लेखा ईकाइ कार्यालय, पाँचथर -

प्रतिवेदन संलग्न छ।

(ललित बहादुर शाक्य)

निर्देशक



कार्यालय र स्थान: श्री मिकलाजुड गाउँपालिकाको कार्यालय, रवि, पौच्छर।

आर्थिक वर्ष: २०७७/७८

| नाम | कार्यरत अवधि | | बेरुजु रकम |
|-----------------|--|-----------|------------------|
| | देखि | सम्म | |
| कार्यालय प्रमुख | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री अरुण राई | २०७७-४-१ | २०७७-५-२३ |
| | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री अनिल तिस्त्री | २०७७-५-२४ | २०७८ असार मसान्त |
| तेखा प्रमुख | तेखापाल श्री दिपेश कुमार चेम्बोड | २०७७-४-१ | २०७८ असार मसान्त |
| | | | ६,९१,८२,०८९।८० |

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

व.उ.पि.नं. विभिन्न कार्यालयको नाम श्री मिकलाजुड गाउँपालिकाको कार्यालय, रवि, पौच्छर।

आर्थिक वर्ष २०७७।७८

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फछौटको विवरण |
|---------|----------|--|-----|--------------|
| | | <p>परिचय:- स्थानीय नेतृत्वको विकास गाउँ स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विद्यायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न मिकलाजुड गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो। १ नं. प्रदेशको पौच्छर जिल्लामा रहेको मिकलाजुड गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १६६.६१ वर्ग किलोमिटर, जनसंख्या २४,६५६ र बडा संख्या ८ रहेको छ।</p> <p>उल्लेखित कारोबारको लेखापरीक्षण समिगत लेखापरीक्षण योजना, इकाइगत लेखापरीक्षण योजना, प्रेपित आर्थिक विवरण, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्वपत्र एव अनुबन्धनपत्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य विवरणसमेतलाई आधार मानी सम्पन्न गरिएको छ। लेखापरीक्षण टोलीमा रहेको सीमित साधन र श्रोत, सूचनाको पहुचमा हुने सीमितता, कम समयमा धेरै कार्यक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने विधमान अवस्था, प्राविधिक ज्ञानको सीमितता, कारोबारको जटिलता जस्ता कारण सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको परीक्षणमा कठिनाई जस्ता सीमाहरु लेखापरीक्षणमा रहेका छन्। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ र लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले निक्यौल गरेको जोखिममा आधारित स्वीकृत लेखापरीक्षण योजनाभित्र रही लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। सारभूतरूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नअनुसार छ:</p> | | |
| | | | | |

~~Applicant~~ ~~Proprietor~~

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फछाईटको विवरण |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------------|
| बढी रकम भुक्तानी/दर्शिता गर्न बढी | | ८०४४.०० | -८०४४.०० | ० |
| इ. यो वर्षको रकम (भुक्ता) | | ८८३९५६२.६० | ०.०० | ८८३९५६२.६० |
| ए. सापर्वके दिनेवारी रकम (इतना) | | ८९२६०९४.११ | ८९२६०९४.११ | ८९२६०९४.११ |
| बर्खालबाट बढी रकम (इ + च) | | ८२९५९८.६१ | ०.०० | ८२९५९८.६१ |
| १११. रकम भुग्ता बढी | २४ | ८२९५९८.६१ | ८२९५९८.६१ | ८२९५९८.६१ |
| | | | | ८२९५९८.६१ |

१.१. आर्थिक विवरण:- गाउँपालिकाले दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको प्रोद्भावी (एकअल) सिद्धान्तमा आधारित लेखा राखुपर्ने व्यवस्था छ। सोअनुसार लेखा राखेको देखिएन। यसरी तयार गरिएका आर्थिक विवरणले वास्तविक आय र खर्चको स्थिति देखाउदैन् भने शीर्षकगत खर्चको स्थितिसमेत मुल्याकन गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन।

१.२. बैंक मौज्दातः- श्रेष्ठा अनुसार र बैंकअनुसार मौज्दात भिडान हुनुदैछ। यस वर्ष श्रेस्ता अनुसार बैंक मौज्दात रु. ८२२४९५२७।८९ देखिएकोमा बैंक अनुसार रु. ८७५४६६८०।३९ मौज्दात देखिएकोले श्रेष्ठाअनुसार भन्दा बैंक अनुसार कूलमौज्दात रु. ५२९७९५२।५० बढी देखिएको छ। सो रकम स्थानिय तह स्थानीय संघित कोषको खातामा श्रेष्ठाअनुसार बाँकी ७२९६२३०३।४६ भएकोमा बैंक अनुसार बाँकी रु. ७८२५९४५५।९६ रहेकोले श्रेस्ताअनुसार भन्दा बैंक अनुसार रु. ५२९७९५२।५० बढी देखिएको छ। बैंक र श्रेस्ता अनुसार बैंक भिडान नहुनुको कारण पत्ता लगाई हिसाब मिलान गर्नुपर्ने र बैंक बढी रकम आमदानी बाध्नुपर्ने देखिन्छ।

१.३. दाखिला गर्न बाँकी:- भुक्तानी गर्दा नियमानुसार कटी गरी राखेको रकम दाखिला गर्नुपर्दछ। एकिकृत आयव्यय विवरण अनुसार रु. ७.७७४।०० कटी रकम दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

७७७४।००

२. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल वमोजिम रहेका छन्।

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन।
- पालिकाले एक आर्थिक वर्षको अन्त्य भित्र भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको अनुसुची १४ वमोजिम दौचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन।
- पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन।
- पालिकाको श्रेष्ठा र बैंक विचको हिसाब फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाब मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो वमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन।
- विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा वैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतार्फ बढी

३
भ्रान्ति प्रतिलिपि



२०७४

अद्वितीय प्राप्ति दिनांक
२०७४।८।२५
प्र. मुख्य प्राप्ति दिनांक
२०७४।८।२५


| दफा नं. | मौ./मिति | विवरण | रकम | फँचौटको विवरण |
|---------|----------|---|-----|---------------|
| | | <p>केन्द्रीत भई वितानमुखि रहेको पाईयो।</p> <ul style="list-style-type: none"> पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी बडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो बडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी समान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन। जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिताम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन। मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ मा ठेका सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई जानकारी नदिएको तथा इ टीडिएस नगरेको। पालिकाले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको। कुनै रकम रकमको भुक्तानी दिंदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा से अनुसार गरेको पाईएन। सार्वजनिक खरिद नियमावलि, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्थ दिन अवागै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन। ठेकाहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेका खाता र कन्टिनेन्सी खाता राखेको पाईएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको पाईएन। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकावाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन। सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन। वातावरणको संरक्षणको एकीकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहाका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको पाईयो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरि खर्च लेखेको पाईयो। मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/२५ को परिपत्र अनुसार यस पालिकामा समाहित भएका साविकका गौड विकास समिति को नाममा रहेका पेशकी तथा वेरुजुको लगत तयार गरेको | | |

४
प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रमाणित प्रतिलिपि

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटको विवरण |
|------------|--|-------|-----|-------------------|
| | पाइएन। | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा २८(५) मा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय निकायलगायत अन्य निकायबाट निर्माण भएका सम्पूर्ण सडकहरूको नक्साङ्कुन एवम् अधावधिक विवरण (रोड ईन्डेन्ट्री) तयार गरी रायुपर्ने र सडक निर्माण गर्दा यातायात गुरु योजनालाई आधार मानी आयोजना छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यातायात गुरुयोजना तयार गरेको देखिएन। एक आर्थिक वर्षको अवधिभित्र भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको म.ले.प.फा.नं. २११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन। प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा पालिकाले सो को कार्यन्वयन गरेको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायि नियमावली, २०७७ को नियम ४७(१) अनुसार पेशकी माग गर्दा कुन कामको लागि के कति रकम चाहिने हो त्यसको विवरण पेश गर्नु पर्ने र उपनियम ४ अनुसार १५ दिन भित्र आवश्यक बिल, भरपाई र कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा लागत अनुमान तयार नगरी एउटा पेशकी फछ्याँट नहुँदै अर्को पेशकी दिने गरेकोले सूधार गर्नुद्दछ। | | | |
| | तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोजिम प्रभावकारी र विवरणीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्द्द। | | | |
| ३. | <u>बजेट पेश गर्ने तथा पारित गर्ने:-</u> स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आय व्ययको अनुमान साथ गत वर्षको वास्तविक आय व्यय, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेश गरी १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ विभिन्न पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कार्यालयको नीति, कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा बजेट २०७७। ३। ०९ गते पारित भएको छ। | | | |
| ४. | <u>खर्च गर्ने अछित्यारी र कार्यविधि:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अछित्यारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च गर्ने अछित्यारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभाबाट बजेट मिति २०७७। ३। ०९ मा स्वीकृत भएकोमा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अछित्यारी मिति २०७७। ३। २५ मा प्रदान गरेको देखिन्द्द। | | | |
| ५. | <u>कर्मचारी व्यवस्था:-</u> निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकामा रहने कर्मचारी दरबन्दी द३ रहेपनि पदपूर्ति २९ जना ५४ जना रिक्त रहेका छन। रिक्तमध्ये ५१ जना करारमा राखी कार्य सञ्चालन गरिएको छ। पद पूर्ति नहुदा सेवा प्रवाहमा असर परेकोले रिक्त पद पूर्ति हुनुपर्दछ। | | | |


प्रामिला प्रतिलिपि


| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटको विवरण |
|------------|---|-------|-----|-------------------|
| ६. | <u>योजना छनौटः-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पालिकाहरूले आवधिक आर्थिक रणनीतिगत विषयको योजना बनाउदा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूमा लागानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पालिकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले यस वर्ष ५ लाख देखि कमका रु. १ करोड ९० लाख ४३ हजारका वडा नं. १ देखि द सम्म वडास्तरीय ११४ वटा योजना बाँडफाड गरी गाउँसभा बाट अनुमोदन गरेको पाइयो। साना साना योजना बडावाट छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेकोले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाइ मध्यम र ठुला आयोजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। | | | |
| ७. | <u>लक्ष्य प्रगतिको स्थिति:-</u> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ मा त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन। पालिकाले सञ्चालन गरेका सबै योजनाहरूको नियमले तोकिदिए अनुसारको ढाँचामा प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ। | | | |
| ८. | <u>वक्यौता रकम असुली:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लागाउने र आय ठेक्का वापत वक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ। उठनूपर्ने रकमको आयगत लगत तयार गरेको छैन। आय ठेक्का, सम्पत्ति बिक्री, मालपोत, आय ठेक्का, कर दस्तुरको बडागत लगत तयार नगरेवाट वक्यौता देखिन् सक्ने अवस्था रहेन। उठनूपर्ने राजस्वको समाइगत लगत तयार गरी उठनूपर्ने र वास्तविक प्राप्तिको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार आयको लेखाङ्कन तथा प्राप्त हुनुपर्ने आयको लेखा हिसाब तयार गर्ने तर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ। | | | |
| ९. | <u>न्यूनतम दररेट निर्धारणः-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै तोकी सक्नुपर्ने प्रावधान छ। पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवालाई सहज बनाउन न्यूनतम दररेट निर्धारण गरेको छैन भने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको पनि पालना गरेको देखिएन। उपरोक्त प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। | | | |
| १० | <u>कानून र सञ्चालन स्थिति:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३० नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले | | | (मम) १६ |



| दफा नं. | भौ./भिति | विवरण | रकम | फछ्यौटको विवरण |
|---------|---|-------|-----|----------------|
| ११. | हातसम्म ७ बटा ऐन, ३ बटा नियमावती, कार्यविधि १५, निर्देशिका १, आचारसंहिता १ र १ बटा नीति लगायत २८ बटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। | | | |
| १२. | <u>बन पैदावार:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ख मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिले बन पैदावार विक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने र बन पैदावार विक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित सम्बन्धित गाउँपालिका संघित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउपालिकाले सो सम्बन्धी अभिलेख तथा बन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको देखिएन। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बनको अभिलेख राखी बन कार्ययोजनाको स्वीकृति तथा बन पैदावारको विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आम्दानी गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। | | | |
| १३. | <u>कर रकम असुली:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र बक्यौता रकमसमेत असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले असुल गर्नुपर्ने करहरुको लगत राखी असुल गर्नुपर्दछ। कार्यालयले मालपोत, शुल्क र अन्य शुल्क तथा दस्तुरबाट असुल हुनुपर्ने रकमको लगत नराखेकोले असुल गर्न वाँकी करहरु यकिन गर्न सकिएन। तसर्थ असुल गर्नुपर्ने करहरुको लगत राखी असुल गर्नुपर्दछ। | | | |
| १४. | <u>नक्सा पास नमएको:-</u> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पनि गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर यो वर्ष गाउँपालिकामा नक्सा पाससम्बन्धी काम कारबाही भएको छैन। त्यसैले तोकेबमोजिम संरचना निर्माण गर्नु पूर्व गाउँपालिकाबाट नक्सापास गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ। | | | |
| १५. | <u>सरकारी सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण नगराएको:-</u> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावती, २०७७ को नियम ९९ बमोजिम (१) सरकारी सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण कार्यालय प्रमुखले यस नियमावली बमोजिम लगत खडा गरी अभिलेख राखिएको सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको मौजुदा अवस्थाको सम्बन्धमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफै वा त्यस्तो मालसामान जिम्मा लिने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तीमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सो समितिवाट निरीक्षण गरी गराई महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा सम्पति तथा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष जिन्सी निरीक्षण | | | |

७
प्राप्ति विधि
अर्थव्यवस्था विभाग
मा. रामेश प्रसाद

| इफा नं. | भौ./भिति | विवरण | रकम | फल्सेटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|--------------|--------------|-----------|------|---------------|-------|-------|---|---|-------------------------|---------------------|---|---|--------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|-----------------------|---------|---|---|---|---|-------------------------|-----------|---|---|---|---|-------------------------|--------|---|---|---|---|-------------------------|--|--|
| १६. | नगरेकोले जिन्सी मालसामानको अवस्था एकिन गर्न सकिएन। अतः जिन्सी निरीदाण नभएकोले सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। तेश्रो चौमासिक तथा असार महिनाको खर्च:- स्विकृत वार्षिक कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्नु पर्दछ। वार्षिक कार्यक्रम तथा अछितयारीअनुसार पहितो, दोश्रो तथा तेश्रो चौमासिकमा तोकिएको लक्ष्य भन्दा फरक हुने गरी पूऱ्यिगत खर्च गरेको देखियो। प्रथम चौमासिकमा ४.९२ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा २३.३१ प्रतिशत र तेसो चौमासिकमा ७१.७६ प्रतिशत साथै आषाढ महिनामा ४४.५९ प्रतिशत गरेको कारण तेश्रो चौमासिकमा र आषाढ महिनामा बढी खर्च हुने गरेको देखिन्छ। तेश्रो चौमासिक एवं वर्षान्तमा बढी खर्च हुदाँ कामको गुणस्तर तथा सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। अतः तोकिएको लक्ष्य अनुरूप खर्च गर्नुपर्दछ। | <table border="1"> <thead> <tr> <th>बजेट उत्तरार्थक</th><th>कुल खर्च</th><th colspan="3">चौमासिक खर्च</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>पूऱ्य खर्चार्थक</th><th>दोश्रो चौमासिक</th><th>तेश्रो चौमासिक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पूऱ्य खर्चार्थक:</td><td>२२५५५६२४३.६७</td><td>११२००६२६</td><td>५२५३२५२४०.०९</td><td>१६४७३२१७२.६६</td></tr> <tr> <td>खर्चार्थक</td><td>४.९२</td><td>२३.३१</td><td>७१.७६</td><td>४४.५९</td></tr> </tbody> </table> | बजेट उत्तरार्थक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | | पूऱ्य खर्चार्थक | दोश्रो चौमासिक | तेश्रो चौमासिक | पूऱ्य खर्चार्थक: | २२५५५६२४३.६७ | ११२००६२६ | ५२५३२५२४०.०९ | १६४७३२१७२.६६ | खर्चार्थक | ४.९२ | २३.३१ | ७१.७६ | ४४.५९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बजेट उत्तरार्थक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | पूऱ्य खर्चार्थक | दोश्रो चौमासिक | तेश्रो चौमासिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूऱ्य खर्चार्थक: | २२५५५६२४३.६७ | ११२००६२६ | ५२५३२५२४०.०९ | १६४७३२१७२.६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खर्चार्थक | ४.९२ | २३.३१ | ७१.७६ | ४४.५९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | न्याय सम्पादन:- कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार मुद्दा दर्ता, फल्सेट, बाँकी रहेको विवरण निम्नअनुसार रहेको पाइयो। फल्सेट हुनबाँकी ६ वटा मुद्दाको समयमा निर्णयगरी पालिकाले न्यायिक सेवा सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>उत्तुको इकाई</th><th>गत आवश्यक फल्सेट गर्न बाँधी</th><th>गो आवश्यक खर्च</th><th>गो आवश्यक फल्सेट</th><th>फल्सेट बाँधी</th><th>फल्सेट नहुनाको कारण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हात बेब वित्तन</td><td>-</td><td>१</td><td>भएको</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>आगरग दारीपूऱ्य</td><td>-</td><td>१</td><td>भएको</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>गान्धी गान्धी</td><td>-</td><td>१</td><td>-</td><td>१</td><td>निवेदक सम्पर्कमा नवाएको</td></tr> <tr> <td>चाल वित्तह परामर्शी</td><td>-</td><td>१</td><td>भएको दरफिट गोरिएको</td><td>१</td><td>-</td></tr> <tr> <td>पोलेट दैनन्दी रामनी</td><td>-</td><td>१</td><td>बढा कार्यालयमा वित्तन भएको</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>लेनदेन</td><td>१</td><td>-</td><td>-</td><td>१</td><td>निवेदक गम्भईमा नवाएको</td></tr> <tr> <td>फोनदारी</td><td>१</td><td>-</td><td>-</td><td>१</td><td>निवेदक सम्पर्कमा नवाएको</td></tr> <tr> <td>हाँतपूऱ्य</td><td>१</td><td>-</td><td>-</td><td>१</td><td>हात स्पाइ तुवना पठाइएको</td></tr> <tr> <td>लेनदेन</td><td>१</td><td>-</td><td>-</td><td>१</td><td>हात स्पाइ तुवना पठाइएको</td></tr> </tbody> </table> | उत्तुको इकाई | गत आवश्यक फल्सेट गर्न बाँधी | गो आवश्यक खर्च | गो आवश्यक फल्सेट | फल्सेट बाँधी | फल्सेट नहुनाको कारण | हात बेब वित्तन | - | १ | भएको | - | - | आगरग दारीपूऱ्य | - | १ | भएको | - | - | गान्धी गान्धी | - | १ | - | १ | निवेदक सम्पर्कमा नवाएको | चाल वित्तह परामर्शी | - | १ | भएको दरफिट गोरिएको | १ | - | पोलेट दैनन्दी रामनी | - | १ | बढा कार्यालयमा वित्तन भएको | - | - | लेनदेन | १ | - | - | १ | निवेदक गम्भईमा नवाएको | फोनदारी | १ | - | - | १ | निवेदक सम्पर्कमा नवाएको | हाँतपूऱ्य | १ | - | - | १ | हात स्पाइ तुवना पठाइएको | लेनदेन | १ | - | - | १ | हात स्पाइ तुवना पठाइएको | | |
| उत्तुको इकाई | गत आवश्यक फल्सेट गर्न बाँधी | गो आवश्यक खर्च | गो आवश्यक फल्सेट | फल्सेट बाँधी | फल्सेट नहुनाको कारण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हात बेब वित्तन | - | १ | भएको | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आगरग दारीपूऱ्य | - | १ | भएको | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गान्धी गान्धी | - | १ | - | १ | निवेदक सम्पर्कमा नवाएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चाल वित्तह परामर्शी | - | १ | भएको दरफिट गोरिएको | १ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पोलेट दैनन्दी रामनी | - | १ | बढा कार्यालयमा वित्तन भएको | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लेनदेन | १ | - | - | १ | निवेदक गम्भईमा नवाएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| फोनदारी | १ | - | - | १ | निवेदक सम्पर्कमा नवाएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हाँतपूऱ्य | १ | - | - | १ | हात स्पाइ तुवना पठाइएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लेनदेन | १ | - | - | १ | हात स्पाइ तुवना पठाइएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९. | <p>स्थानीय भत्ता:- भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ (११) मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने प्रवधान छ। कर्मचारीहरुलाई दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्दा स्थानीय भत्ता कट्टा गरेको देखिएन। पालिकाबाटै एकिन गरी दैनिक भत्ता उभयोग गरेको अवधिको स्थानीय भत्ता असुल गर्नुपर्दछ।</p> <p>स्थानेट्री प्याड वितरण:- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार खर्चको विलभरपाई एवं त्यसलाई पुष्ट्याई गर्ने पुर्ण प्रमाण सहित लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। किशोरीलाई महिनावारी सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानेट्री प्याड कोरोनाका कारण विचालय बन्द रहेको अवस्थामा ३२८७६(१०८ प्याकेट) थानको बिल रु. ८७६७३७।१७ पेश भई रु. ७४६८०२।०० भुक्तानी गरी आषाढ मसान्तमा खरिद सम्झौताबाट अप्सरा ट्रेई लिंक विराटनगरबाट खरिद गरी मौज्दात राखेकोले सम्बन्धित विद्यालयमा पढाई छात्राहरुलाई</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

८



प्राप्तिकृति

(मात्रामा)

प्राप्तिकृति

प्राप्तिकृति

प्राप्तिकृति

अधिकारी प्राप्तिकृति

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------|----------------|-------------------|------------|--------------|---------|--------|-------------------|---|-----------|-----------|--------|----------------|---|-----------|----------|---|----------------------|---|----------|----------|---|------------------------|---|----------|----------|---|--------------------|---|----------|--|--|
| | | प्रयोग गर्ने गरी वितरण भै राकेको अवस्था छैन। कार्यक्रम रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्यायनरत विद्यार्थीहरूलाई खरिद गरिएको स्थानीटरी प्याड वितरण नगरेकोले सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीलाई बुझाएको भरपाई पेश हुनुपर्ने देखिएको रु. ७४६००२।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०. | <u>कल्याण कोष:-</u> स्थानीय सरकार राशालान ऐन, २०७४ को दफा ९१ वमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा शर्त तथा कानून वमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान, औपचित्पचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। कोषको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याण कोषको लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउपालिका अन्तर्गत कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीको लागि सेवा वा पद बाट अलग हुँदा दिनुपर्ने अवकास सुविधाको कल्याण कोषमा गत वर्षको मौज्दात रु. ३२२९८।०० र यस वर्षको निकासा नभएको एवं सोहि कोषबाट विविधको रु. २४६०२९।०० खर्च गरी रु. ७६९५६।०० मौज्दात रहेको देखियो। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सालवसाली रूपमा कल्याण कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र विविधबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम कल्याणकोषबाट खर्च गरेकोले शोधभर्ना गर्नुपर्ने रु. २४६०२९।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | <u>स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा:-</u> नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून वमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. १ को प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मिकलाजुड गाउपालिकाले पदाधिकारीको सुविधावापत रु. ६३३५६०४।०० भुक्तानी गरेको छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | <u>सुविधा भुक्तानी:-</u> प्रदेश नं. १ का गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) वमोजिमको अनुसूची -१(क) वमोजिमको सुविधा भुक्तानी दिन मिले र सो ऐनको दफा ७(३) वमोजिम सवारी साधन प्राप्त गर्ने सदस्यलाई अन्य यातायात सुविधा नदिने र उपदफा ४ वमोजिम सवारी साधनका निम्नि सभाबाट स्वीकृत भएको बजेटभित्र रही कार्यपालिकाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। पालिकाले पेश गरेको विवरण अनुसार मोटरसाइकल सवारी सुविधा बुझेका गाउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई लगबुकबाट इन्धन सुविधा र ८ वडा अध्यक्षलाई वडामा पदाधिकारी इन्धन सुविधाको बजेट राखी खर्च लेखेको अवस्थामा अनुसूची-१(क) को यातायात सुविधा समेत रु. ६,२४,०००।०० भुक्तानी गरेको देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने रु. ६२४०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>पद</th> <th>पालिका/वडा</th> <th>पदाधिकारीको नामयर</th> <th>परिमाण धान</th> <th>यातायात खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अध्यक्ष</td> <td>पालिका</td> <td>श्री अमरराज माथिम</td> <td>१</td> <td>१२००००।००</td> </tr> <tr> <td>उपाध्यक्ष</td> <td>पालिका</td> <td>श्री उमिला राई</td> <td>१</td> <td>१२००००।००</td> </tr> <tr> <td>वडाप्रधा</td> <td>१</td> <td>श्री विष्णुकुमार राई</td> <td>१</td> <td>४८०००।००</td> </tr> <tr> <td>वडाप्रधा</td> <td>२</td> <td>श्री सन्तुकुमार शेर्मा</td> <td>१</td> <td>४८०००।००</td> </tr> <tr> <td>वडाप्रधा</td> <td>३</td> <td>श्री हस्तराज फियाक</td> <td>१</td> <td>४८०००।००</td> </tr> </tbody> </table> | पद | पालिका/वडा | पदाधिकारीको नामयर | परिमाण धान | यातायात खर्च | अध्यक्ष | पालिका | श्री अमरराज माथिम | १ | १२००००।०० | उपाध्यक्ष | पालिका | श्री उमिला राई | १ | १२००००।०० | वडाप्रधा | १ | श्री विष्णुकुमार राई | १ | ४८०००।०० | वडाप्रधा | २ | श्री सन्तुकुमार शेर्मा | १ | ४८०००।०० | वडाप्रधा | ३ | श्री हस्तराज फियाक | १ | ४८०००।०० | | |
| पद | पालिका/वडा | पदाधिकारीको नामयर | परिमाण धान | यातायात खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अध्यक्ष | पालिका | श्री अमरराज माथिम | १ | १२००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| उपाध्यक्ष | पालिका | श्री उमिला राई | १ | १२००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडाप्रधा | १ | श्री विष्णुकुमार राई | १ | ४८०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडाप्रधा | २ | श्री सन्तुकुमार शेर्मा | १ | ४८०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडाप्रधा | ३ | श्री हस्तराज फियाक | १ | ४८०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

१

 मानित प्रतिलिपि
 अन्त प्रतिलिपि
 म. नम्रता

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | | | | रकम | फँचौटको विवरण |
|---------|----------|-------|----------------------------|---|-----------|-----|---------------|
| | बडाप्पा | ४ | श्री रामकुमार राई | १ | ४५०००।०० | | |
| | बडाप्पा | ५ | श्री अविनाश चाहारी | १ | ४५०००।०० | | |
| | बडाप्पा | ६ | श्री फडिन्द प्रसाद चिंग्रे | १ | ४५०००।०० | | |
| | बडाप्पा | ७ | श्री मिनराज गाविम | १ | ४५०००।०० | | |
| | बडाप्पा | ८ | श्री रामेश्वर चाही | १ | ४५०००।०० | | |
| | | | जम्मा | | ६२४०००।०० | | |


२३. चालु प्रकृतिको खर्च:- पूँजीगत रकमबाट चालु प्रकृतिका तलब, भत्ता, सवारी साधन मर्मत सम्भार र ईन्धन र चन्दा पुरस्कार दिन नपाइने व्यवस्था छ। पूँजी निर्माण हुने र विकास निर्माणको कार्यमामात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सभाले नियम विपरीत चालु प्रकृतिका कार्यमा विनियोजन गरी खर्च लेखेकोले नियमसम्मत देखिएन। तसर्थ तोकिएवमोजिम पूँजी निर्माण हुने र विकास निर्माणको कार्यमा पूँजीगत खर्च गर्नुपर्दछ। चालु प्रकृतिका खर्च पूँजीगत कोषबाट भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्।

| सौ.भौ.न./मिति | कार्यक्रम | मुकानी रकम |
|---------------|--|------------|
| ९६-०७७/११/१७ | महिला फुटबल कार्यक्रम | ४०००००।०० |
| १००-०७७/११/१८ | विप्र ग्राहिता वीस्टर्स खरिद तथा उत्रत वित्र वित्र खरिद | २३२०००।०० |
| ११३-०७७/११/२८ | सि.वि.आर. सहनकल्पहर्को पारिश्रमिक | १५५००।०० |
| १३०-०७७/१२/११ | पुल तथा महिला सेलकुद सामाजी खरिद तथा पुरस्कार खर्च | २०००००।०० |
| १४६-०७७/१२/२३ | सरस्वती आ.वि. चुमार्डादिन व्यवस्थापन | ५००००।०० |
| १४८-०७७/१२/२५ | श्री सार्वजनिक मा.वि. कोपिङ | ९७२५०।०० |
| १५२-०७७/१२/२५ | सार्वजनिक मा.वि. के वि कक्षा सवालन | ९९२००।०० |
| १५९-०७७/१२/२६ | कार्यक्रम संचालन तथा सामाज खरिद र वितरण | ६२३०००।०० |
| १३१-०७७/१२/११ | पुरुष कुटबल र बन्डर फोटिन व्याइज फुटबल कार्यक्रम | ४०००००।०० |
| १३२-०७७/१२/११ | शहिद दशरथ आ.वि. व्यवस्थापन | ५००००।०० |
| १३३-०७७/१२/११ | स्वास्थ्य स्वयमसेविका र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका लाई दाजा रुपै | २५५०००।०० |
| १७८-०७८/४/३ | मेल मिलाप सम्बन्धि अभियुक्तिकरण गोष्ठि तथा मेलमिलापल छोटोट कार्यक्रम | २४०५५०।०० |
| १९३-०७८/१/१२ | विद्यालय स्तरिय खेलकुद कार्यक्रम | ५०००००।०० |
| २०२-०७८/१/१५ | सिंहदेवी मा.वि व्यवस्थापन तथा संचालन | २२५०००।०० |
| २०३-०७८/१/१६ | पाइप खारिद तथा विप्र आवास निर्माण कार्यक्रम | ४५००००।०० |
| २३८-०७८/३/१ | खेलकुद व्यवस्थापन कार्यक्रम | १४८२९०।०० |
| २२८-०७८/३/१० | बाढा तथा सुगुर घाटा वितरण | ३०००००।०० |
| २६०-०७८/३/११ | आदिवासी उत्पानन कार्यक्रम | ९५००००।०० |
| ३९१-०७८/३/२६ | दुर्गा गा.वि कक्षा सवालन | ३२९५०।०० |
| | जम्मा | ४७५७२९०।०० |

२४. कर समायोजन:- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८(१) मा करदाताले प्रत्येक महिनाको विवरण सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनेले समेत भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यबस्था छ। मूल्य अभिवृद्धि करसमेत भुक्तानी लिएका आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण तथा कर रकम बुझाएको प्रमाण नहुदै ननफाइलर देखिएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २१४८९९।०० समायोजन भएको प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा असूल गर्नुपर्ने रु.

२१४८९९।००

| सौ.न./मिति | सम्पादको नाम/स्थानी लेखा नम्बर | विवरण नं./मिति | मुकानी रकम | मु.उ.कर | नव.फाइलर नं. |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| ५९-०७७/१/९ | आ.के.माडापाट हिल उपाया (६९२३२५२९०।००) | २-०७७/१/९ | ३२६१९।०० | ३७५२ | २०७७ लालाल |
| ३६-०७७/१०/९ | नेपाल ब्राह्मण ग्राम | ८-०७७/१०/९ | ३८८५५८ | ४९२५० | २०७७ गाप |
| १८७-०७८/३/२० | बाधार टेक वितरणगार-१५ (२०५२६९२००।) | १४२-०७८/३/२४ | ८७६७३७ | १००८६३ | २०७७ झाँडन |
| ३०-०७८/१/१७ | आ.के.हिमालय समिति प्रा.सी. (८००६१५५१) | ०२-०७८/१/१७ | ६००००० | ६९०२६ | २०७७ गरिर |



मिनिस्टर

मिनिस्टर
मिनिस्टर

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्टोटको विवरण |
|---------|--------------------------------|---|------------|----------------|
| | | बजेट | ११४८९।१०० | |
| २५. | <u>आयकर चुक्ता नभएको:-</u> | आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अधिल्लो वर्को आय विवरण म्याद थप भएकोमा समेत पौष मसान्तभित्र बुझाई कर चुक्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष देहायका निर्माण व्यवसायीले कर चुक्ता नलिएको अवस्थामा खरिद कार्य गरी रु. १६३०७४।०० भुक्तानी गरेको देखिएकोले नियमित नभएको रु. | १६३०७४।०० | |
| २६. | <u>सङ्कल बिल भरपाई नभएको:-</u> | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ। देहायका निर्माण व्यावसायीलाई फोटोकपि बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको हुदा सङ्कल बिल पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असूल गर्नुपर्ने रु. | १३९५६०५।०० | |
| २७. | <u>निर्देशिकाको पालना:-</u> | स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४ को दफा ५.१५ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा श्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने प्रावधान भएकोमा पनि यो वर्ष २ थान मोटरसाइकल खरिद गरी रु. १०६९२८०।०० खर्च गरेको छ। | | |
| २८. | <u>तालिम सञ्चालन:-</u> | तालिम सञ्चालनको लागि नर्मश स्वीकृत वा अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम तालिम सञ्चालन हुनुपर्दछ। विगतका वर्षदिखि नै विभिन्न प्रकारका तालिम वर्षैपेच्छे हुने गरेकोमा अध्यावधिक अभिलेख नराखेको, लाभग्राहीको छानौट पारदर्शी नभएको, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ ले तोकेभन्दा बढी प्रशिक्षक भत्ता र खाना तथा खाजा लगायतमा बढी खर्च गरेको आदि जस्ता कारणले तालिममा अनावश्यक खर्च हुने गई तालिम औचित्यपूर्ण र प्रभावकारीसमेत देखिएको छैन। गाउपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा प्रतिफल दिने किसिमको कार्यक्रम छानौट गरी आय आर्जन हुने र सीपमूलक तालिममा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। | | |
| २९. | <u>बढी भुक्तानी:-</u> | २४-२०७७।६।२२ प्रदेश नं १ गाउ तथा नगर सभाका सदस्यरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसुचि १(क) अनुसार तोकिएको दरमा सुविधा दिनुपर्नेमा देहायका ४० पदाधिकारीलाई श्रावण, भाद्र र अश्विन महिनामा तोकिएको दरभन्दा बढी रु. २५६४५०।०० भुक्तानी गरेकोमा गो भौ नं. २९५ मिति ०७८/३/११ बाट आणाड महिनामा रु. ९५८५६।०० कट्टा गरेको देखियो। अतः ऐनले पाउने भन्दा बढी भुक्तानी भएको असूल गर्नुपर्ने रु. | १६०५९४।०० | |

| सि.नं | पद | पदाधिकारीको नाम वर | भुक्तानी रकम |
|-------|------------------|----------------------|--------------|
| १ | गा.पा. उपाध्यक्ष | श्री उमिला राई | ६६९४।०० |
| २ | वडाध्यक्ष | श्री विष्णुकुमार राई | ८८२०।०० |
| ३ | वडाध्यक्ष | श्री सन्तुमार सेर्मा | ८८२०।०० |

५८१८
प्रगतिशील
जनराजी

प्रगतिशील
जनराजी

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्पौटको विवरण |
|---------|--------------|------------------------------|------------|----------------|
| ४ | बडाघाट | श्री हस्तराज फिल्याक | ८८२०।०० | |
| ५ | बडाघाट | श्री राम कुमार राई | ८८२०।०० | |
| ६ | बडाघाट | श्री अविशन लावती | ८८२०।०० | |
| ७ | बडाघाट | श्री फिल्न्द्र प्रसाद धिमिरे | ८८२०।०० | |
| ८ | बडाघाट | श्री गिनराज माधिम | ८८२०।०० | |
| ९ | बडाघाट | श्री रामेश्वर लावी | ८८२०।०० | |
| १० | का. पा सदस्य | श्री शान्तकला बुद्धीमी गगर | ६३२०।०० | |
| ११ | का. पा सदस्य | श्री इन्दुमाया राई | ६३२०।०० | |
| १२ | का. पा सदस्य | श्री लालमी कला बास्कोटा | ६३२०।०० | |
| १३ | का. पा सदस्य | श्री रुपामाया गगर | ६३२०।०० | |
| १४ | का. पा सदस्य | श्री महेन्द्र कुमार राई | ६३२०।०० | |
| १५ | का. पा सदस्य | श्री दुर्गेन्द्र लुतगुन कामी | ६३२०।०० | |
| १६ | सदस्य | श्री मनमाया राई आडेम्बे | १६२०।०० | |
| १७ | सदस्य | श्री दुर्गा नेपाली | १६२०।०० | |
| १८ | सदस्य | श्री दुर्गा आडेम्बे | १६२०।०० | |
| १९ | सदस्य | श्री शोमसेर राई | १६२०।०० | |
| २० | सदस्य | श्री तिर्थमाया गजमेर | १६२०।०० | |
| २१ | सदस्य | श्री दिपेन्द्रकुमार शेम्शे | १६२०।०० | |
| २२ | सदस्य | श्री विमल दमाई | १६२०।०० | |
| २३ | सदस्य | श्री जगतबहादुर राई | १६२०।०० | |
| २४ | सदस्य | श्री जय प्रसाद फिल्याक | १६२०।०० | |
| २५ | सदस्य | श्री आइतमाया राई | १६२०।०० | |
| २६ | सदस्य | श्री सिता विष्वकर्मा | १६२०।०० | |
| २७ | सदस्य | श्री विष्णुकुमार राई | १६२०।०० | |
| २८ | सदस्य | श्री राजेन्द्र राई | १६२०।०० | |
| २९ | सदस्य | श्री अरुणा लावती | १६२०।०० | |
| ३० | सदस्य | श्री शान्ति कुमारी वि.क. | १६२०।०० | |
| ३१ | सदस्य | श्री भेदराज लावती | १६२०।०० | |
| ३२ | सदस्य | श्री फुलमाया गोले | १६२०।०० | |
| ३३ | सदस्य | श्री उमा देवी दर्भी | १६२०।०० | |
| ३४ | सदस्य | श्री टिकाराज जोगी | १६२०।०० | |
| ३५ | सदस्य | श्री महते लिम्बु | १६२०।०० | |
| ३६ | सदस्य | श्री भुमा लामादे | १६२०।०० | |
| ३७ | सदस्य | श्री दिलबहादुर लामाई | १६२०।०० | |
| ३८ | सदस्य | श्री विमल राई | १६२०।०० | |
| ३९ | सदस्य | श्री जनकुमारी पोखेत | १६२०।०० | |
| ४० | सदस्य | श्री नेविन गौतम | १६२०।०० | |
| जम्मा | | | १६०५९।४।०० | |

३०. जे.सी.बी. र ट्याक्टर:- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने विल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले JCB र ट्याक्टर प्रयोग गर्दा कार्यविवरण, प्रयोग भएको अवधि र कार्य घण्टा, इन्धनको लगावुक र आम्दानी रकम आदि खुल्ने गरी अभिलेख राखेको देखिएन। यस वर्ष जे.सि.बि. १ र ट्याक्टर १ सञ्चालनमा गर्दा मर्मत तथा इन्धन खर्च रु. २०,१५,६४।।- खर्च र २ चालकको पारिश्रमिक रु. ६४६२००।०० समेत जम्मा रु. २६६१।६४।।०० खर्च गरेको उल्लेख गरेपनि भाडा प्रयोजनमा नदिएको एवं पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रयोग गरेकोमा कार्यको अभिलेख नराखेको देखियो। अतः पालिकाले जे.सि.बि.को प्रतिघण्टा दररेट

क्रमांक
५८८

३०३२
३०३२

अर्थात्
५८८

३०३२
३०३२

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फँड्चौटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------|-------------|----------|---|---------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|------------|------------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|--|--|
| | | निर्धारण गरी आइडल नराखि व्यावसायिक प्रयोजनका अतिरिक्त पालिकाको कार्यमा अभिलेख राखि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <u>अछित्यारी तथा कार्यक्रम वेगर खर्चः-</u> | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार तोकिएको अछित्यारी अनुसार कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेमा व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम र अछित्यारी प्राप्त नभएकोमा भौ.नं. १०७ बाट मिति २०७७।११।१७ मा आखौं उपचार केन्द्र रविवारका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोले सम्बन्धित निकायबाट सोधभर्ना हुनुपर्ने रु. | ३६३७६९।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२. | <u>अनुदान किस्ताः-</u> | सुरक्षित नागरिक आवास कायान्वयन कार्यविधि, २०७५ को दफा ५(७) अनुसार स्थानिय तहसील सम्झौता भए पश्चात पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत र निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात दोश्रो तथा अन्तिम किस्ता ४० प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले दिएको विवरण अनुसार बडा नं. ५ बाहेक ७ बटा बडामा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा यस वर्ष छनोट भएको ३९६ जनालाई प्रथम किस्ता उपलब्ध गराएकोमा दोश्रो किस्ता कार्यसम्पन्न नहुदा भुक्तानी नभएकोले प्रथम किस्ताको जनहि रु. ३००००। का दरले रु. ११८८००००।०० प्रदान गरेको रकम सदुपयोग भएको सुनिश्चित नभएको रु. | ११८८००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <u>डुपीजार खर्चः-</u> | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा र नियम १२(२) अनुसार परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र साथै प्याकेजिङ गरी बोलपत्रको माध्यमबाट समेत खरिद गर्न सकिनेमा नियम ७२ बमोजिम मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी २० लाख रुपैया भन्दा घटिको लागत अनुमान तयार गरी परामर्श सेवा खरिद गरेको एवं स्वीकृत बजेटको हाराहारीमा खर्च भएकोले खरिद मितव्यायी र पारदर्शी देखिदैन। अतः नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खर्च गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्य विवरण</th> <th>परामर्शदाता</th> <th>स्वीकृत रकम</th> <th>खर्च रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१ न बडा कार्यालय भवन ढी पी आ र आपारमुत अस्पताल ढी पी आर</td> <td>सगुन इन्जिनियरीड सोलुमन प्रा.ली</td> <td>३०००००.००</td> <td>३०००००.००</td> </tr> <tr> <td>नदी कुलो तथा भक्ते भैरुड कुलो डि.पि.आर. कार्यक्रम</td> <td>विग ब्रदर एड इन्जिनियर्स प्रा.ली</td> <td>१५०००००.००</td> <td>१५०००००.००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>देमेज इन्जिनियरीड कन्सल्टेन्ट्सी</td> <td>२०००००.००</td> <td>२०००००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>२००००००.००</td> <td>२००००००.००</td> </tr> </tbody> </table> | कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | १ न बडा कार्यालय भवन ढी पी आ र आपारमुत अस्पताल ढी पी आर | सगुन इन्जिनियरीड सोलुमन प्रा.ली | ३०००००.०० | ३०००००.०० | नदी कुलो तथा भक्ते भैरुड कुलो डि.पि.आर. कार्यक्रम | विग ब्रदर एड इन्जिनियर्स प्रा.ली | १५०००००.०० | १५०००००.०० | जम्मा | देमेज इन्जिनियरीड कन्सल्टेन्ट्सी | २०००००.०० | २०००००.०० | | | २००००००.०० | २००००००.०० | | |
| कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ न बडा कार्यालय भवन ढी पी आ र आपारमुत अस्पताल ढी पी आर | सगुन इन्जिनियरीड सोलुमन प्रा.ली | ३०००००.०० | ३०००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नदी कुलो तथा भक्ते भैरुड कुलो डि.पि.आर. कार्यक्रम | विग ब्रदर एड इन्जिनियर्स प्रा.ली | १५०००००.०० | १५०००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | देमेज इन्जिनियरीड कन्सल्टेन्ट्सी | २०००००.०० | २०००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | २००००००.०० | २००००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४. | <u>बोयर बोका:-</u> | ९३-०७७/११/१२ प्रजननयोग्य बोयर जातको बोका आधिकारिक फर्म, अनुसन्धान केन्द्र वा सरकारी मान्यता प्राप्त घोषित श्रोत केन्द्रबाट तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा लाभग्राहिलाई १ बोका रु. १०००००।०० खरिद गरी शतप्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको देखियो। आधिकारीक श्रोत केन्द्रबाट खरिद नगरेको, लाभग्राहि छनोटको मापदण्ड नभएको, बीमा र स्वास्थ्य परिष्कार नगराएको एवं लाभग्राहिको लागत सहभागिता नरहेकोले खर्च रकम नियमित नभएको रु. | १०००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५. | <u>मालसामानको निरीक्षण र स्वीकृति:-</u> | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११५(१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्फेशिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको निरीक्षण वा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

१३

प्राप्तिलिपि

अन्तिम दस्तावेज
प्र. ब्रह्म श्रावित्य

२०७३
१०६३

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फँक्टौटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-------|---------|--|------------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष औपचिधि, कोल्ड स्टोर, सोलार प्यानल, जेनेरेटर, यु. एस. जि. कलर डेभलपर मेशिन आदि खरिद गरेकोमा सामाजीको गुणस्तर र स्फेशिफिकेशन बमोजिम भए नभएको परिक्षण/निरिक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन। आपूर्ति गरिएका मालसामान तोकिएको गुणस्तर र स्फेशिफिकेशन भए नभएको एकिन गर्न सकिएन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६. | <u>कार्यसम्पादन जमानतको रकम नपुग:-</u> सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(४) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानतको रकम बोलपत्रदाताले लागत अनुमानको पन्थ प्रतिशत अझैभन्दा कम कबुल गरेमा पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको पन्थ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा पन्थ प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अझको पाँच प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत बापत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष देहायका निर्माण र खरिद कार्यमा ऐनले तोके बमोजिमको कार्यसम्पादन जमानत नलिइ खरिद सम्झौता गरेकोले नपुग जमानत रकम थप गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु। | ८७२१२२।३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | <u>कार्यसम्पादन जमानतको म्याद:-</u> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११० (४) मा कार्य सम्पादन जमानतको अवधि त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित प्रत्याभूति (वारेन्टी) को अवधि वा निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्य सम्पादन जमानतको अवधि घटी भएको अवस्थामा खरिद सम्झौतासमेत गर्न नमिल्नेमा देहायको आपूर्तिकर्तासँग घटी अवधिको कार्य सम्पादन जमानत पेश भएको अवस्थामा पनि सम्झौता गरेको देखियो। नियमको प्रावधानअनुसार जमानतको अवधि थप गर्नुपर्ने देखिएको रु। | ३३०४८८८।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यविवरण</th><th>ठेगा नम्बर</th><th>निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्ता</th><th>लागत अनुमान</th><th>कमोल रकम</th><th>कार्यसम्पादन जमानत</th><th>करक</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>रात्रि परे</th><th>दिनेको</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Power Teller</td><td>MRM/SQ/Goods-008/077/78</td><td>Shree Dev Traders</td><td>११४२४००</td><td>११३२६००</td><td>५६६३०</td><td>२७०००</td><td>२९६३०</td></tr> <tr> <td>Procurement of medicine and surgicals goods</td><td>MRM/SQ/Medicine-16/077/78</td><td>Kalima Drugs Distributor</td><td>१७९९९२०.२</td><td>७३६४०८.९</td><td>४३३५८५.०२</td><td>४२९०००</td><td>१२५८५</td></tr> <tr> <td>Procurement of Solar Panel</td><td>MRM/SQ/Goods-17/077/78</td><td>Utsab alternative energy Pvt. Ltd</td><td>१२१०५४८</td><td>११६२७९.२</td><td>१०२९५७.२६</td><td>५५०००</td><td>४७१५७.३</td></tr> <tr> <td>Construction of Municipality Building for Miklajung Rural Municipality</td><td>MRM/NCB/Works-01-76/77</td><td>Siddha Baba' Construction Pvt. Ltd</td><td>८५४५४१८८</td><td>६७२००६२२.२९</td><td>६०७७७९.९</td><td>५२९५००</td><td>८८२७५०</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>जमाना</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>८८२१२२.३०</td></tr> </tbody> </table> | कार्यविवरण | ठेगा नम्बर | निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्ता | लागत अनुमान | कमोल रकम | कार्यसम्पादन जमानत | करक | | | | | | रात्रि परे | दिनेको | Mini Power Teller | MRM/SQ/Goods-008/077/78 | Shree Dev Traders | ११४२४०० | ११३२६०० | ५६६३० | २७००० | २९६३० | Procurement of medicine and surgicals goods | MRM/SQ/Medicine-16/077/78 | Kalima Drugs Distributor | १७९९९२०.२ | ७३६४०८.९ | ४३३५८५.०२ | ४२९००० | १२५८५ | Procurement of Solar Panel | MRM/SQ/Goods-17/077/78 | Utsab alternative energy Pvt. Ltd | १२१०५४८ | ११६२७९.२ | १०२९५७.२६ | ५५००० | ४७१५७.३ | Construction of Municipality Building for Miklajung Rural Municipality | MRM/NCB/Works-01-76/77 | Siddha Baba' Construction Pvt. Ltd | ८५४५४१८८ | ६७२००६२२.२९ | ६०७७७९.९ | ५२९५०० | ८८२७५० | | | जमाना | | | | | ८८२१२२.३० | | |
| कार्यविवरण | ठेगा नम्बर | निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्ता | लागत अनुमान | कमोल रकम | कार्यसम्पादन जमानत | करक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | रात्रि परे | दिनेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini Power Teller | MRM/SQ/Goods-008/077/78 | Shree Dev Traders | ११४२४०० | ११३२६०० | ५६६३० | २७००० | २९६३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procurement of medicine and surgicals goods | MRM/SQ/Medicine-16/077/78 | Kalima Drugs Distributor | १७९९९२०.२ | ७३६४०८.९ | ४३३५८५.०२ | ४२९००० | १२५८५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procurement of Solar Panel | MRM/SQ/Goods-17/077/78 | Utsab alternative energy Pvt. Ltd | १२१०५४८ | ११६२७९.२ | १०२९५७.२६ | ५५००० | ४७१५७.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction of Municipality Building for Miklajung Rural Municipality | MRM/NCB/Works-01-76/77 | Siddha Baba' Construction Pvt. Ltd | ८५४५४१८८ | ६७२००६२२.२९ | ६०७७७९.९ | ५२९५०० | ८८२७५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जमाना | | | | | ८८२१२२.३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>कार्यसम्पादन जमानतको विवरण</u> | <u>परामर्शदाता/आपूर्तिकर्ता/निर्माण व्यावसायी</u> | <u>कार्य सम्पन्न मिति (म्याद यस बमेत)</u> | <u>कारेन्ट शिरिक/त्रुटि सच्याउने अवधि</u> | <u>कार्यसम्पादन जमानतो म्याद</u> | <u>कार्यसम्पादन जमानत रकम</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बडा न. १ कार्यालय भवन निर्माण MRM/NCB/works-10-077/78 | जानुका बिल्डर प्रा.लि. इसाम | २०८८/११/१५ | ०७९/१२/१४ | २०८८/११/९ | ११०२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Supply and delivery of steel parts for trial bridge | इन्टरेक प्रा.लि. बुट्टल | २०७७/५/२१ | २०७८/६/३० | २०७८/१/२८ | १५१५६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बढ पार्क निर्माण | सरस्वती निर्माण सेवा निर्माण प्राप्तिकर्ता | २०८८/२/२१ | २०७८/३/३० | २०७८/४/८ | ५८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पा.पा.प्राप्तिकर्ता भवन निर्माण | निर्माणकर्ता बुट्टल प्रा.लि. | २०७८/१/१५ | ०८०/२/१४ | ०७८/१/१७ | ५२०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construction of primary Hospital | सि.एम.प्रूटिङा लाइंग्सेप्रा.लि. नया बानेश्वर काठमाडौ | २०८०/१/५ | २०८१/२/६ | २०८०/१/२९ | २०५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | रुपी धूबता आ.पि. संचान्त आर्थोटे मोटरबाटोली स्टोरेजी | सम्बन्ध कन्ट्रक्चर प्रा.लि. | २०७८/१२/२५ | ०७९/१/२४ | ०७८/१/३० | ४९२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चूल्हा देखि निर्माण सेवा भेज.प्रा. | ग्रन्जुखि गाई निर्माण सेवा दमक | २०७८/३/३१ | ०७९/४/३० | २०७९/१/१६ | २५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उत्तरार्द्ध बडा कार्यालय साराइजने मोटर बाटक स्टोरेजी | एन्जिन मन्ती प्राप्त बन्स्ट्रक्चर एड समावर्ती दमक | २०७८/१/२७ | २०७९/२/२६ | ०७८/१/२९ | ४९२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | लाइफ्टट्रायल सेन्टरिशन निर्माण बाटी | Edlyn multipurpose construction and suppliers | ०७८/३/१९ | ०७९/४/१६ | २०७८/३/१० | ५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सेनार प्राप्तिकर्ता | उत्तम अन्टरेक्टिम इन्डिप्रा.लि. फिरिम | २०८८/३/१९ | २०८९/५/१८ | २०८९/२/१४ | ५५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जेनेरेटर बाटी | प्रेसार्टिक निर्माण सेवा कार्यालय प्रा.लि.लिमिटेड | २०८८/३/१८ | ०७९/४/१८ | २०८८/४/९ | ५५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मुमार्पी सेवा बाटोर टार्पी सेवा दुकान बोगता | ग्रन्जुखिगाई निर्माण सेवा कार्यालय प्रा.लि. दमक | २०७८/३/७ | २०७९/४/७ | २०८८/११/६ | ३१६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुरि सडक सेवा दुकान भारतीय तथा दुकान बोगता | ग्रन्जुखिगाई निर्माण सेवा कार्यालय प्रा.लि. दमक | २०८८/३/७ | २०७९/४/७ | २०८८/११/६ | ६४६३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बडा नं. ६ बडा कार्यालय भवन | चामे निर्माण सेवा ताप्तेबु | २०७९/६/२० | ०८०/७/२७ | २०८९/८/२२ | १४५५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 | |

कार्यालय निर्माण

प्राप्तिकर्ता

प्राप्तिकर्ता

| दफ्तर नं. | भौतिकी/मिति | विवरण | रकम | फलेटोटको विवरण | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------|---------|
| | Electrical pumping कार्यालय | सुर्खेती कार्यालय प्रश्नालय फालि | २०३८/१/३१ | २०३९/१/२० | ०३९/१/२ | ४०५००० |
| | होटल होमेंट विभाग | जातुका विभाग फालि हालम | ०३९/८/२० | २०४०/९/२० | ०३९/८/२३ | ५६२००० |
| | | | ०३९/८/३० | | ०३९/८/२३ | ५६२००० |
| | | काम्हा | | | ०३९/८/२३ | ५६२००० |
| | | | | | | ११२४५६२ |

३८. विभाग:- सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११२(१) बमोजिम १० लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यावसायीले विभाग बमोजिम १० लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यावसायीले विभाग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी खरिद सम्झौता बमोजिम विभाग वापतको रकम भुक्तानी गर्दा विभाग गरेको पोलिसी र प्रिमियम तिरेको रसिद संलग्न गरी भुक्तानी गर्नुपर्दछ। यस वर्ष खरिद सम्झौतामा विभाग गराउनु पर्ने उल्लेख भएपनि निर्माण व्यावसायीले विभाग नगराएको र विभाग गराएकोमा समेत संझौतामा उल्लेख भएअनुसार गराएको देखिएन। सो सम्बन्धि केही उदाहरण देहाअनुसार छन्।

| क्र. सं. | कार्यविवरण | नियमित व्यवसायी/अपौष्टिकी | सार्वज्ञता रकम (मुद्रा कर गयी) |
|----------|--|--|--------------------------------|
| १. | बहा. न. १ को कार्यालय भवन | जयना विनियोग प्राप्ति, दिल्ली | ८९२७९६५१४३ |
| २. | १५ शैलेश्वरे आधारस्थ अस्पायल नियमित | सिएम/कृष्ण राजी डेविल, नॉर्थोश्वर काठमाडौं | ९२२७०२०२८१५० |
| ३. | चुनेपा देखि नियमा खोला | गजुरपुरी माई नियमित योगा प्राप्ति, दिल्ली | ४९८८५४३१४६ |
| ४. | कुदालको नियमित | सरसवाई नियमित योगा | ९९५५१२०४१०९ |
| ५. | मुहुरामा/तिम्बा/दोईम्बा कृषि सडक स्तरोन्ती र दूर्घाक ओपन | जानुका विल्डर्स | ४९०२२९१४३ |
| ६. | कुदालकी नियमित | नविन स्प्लॉटर प्राप्ति. | २५००००००१०० |
| | उत्तर | | १५००५८५८५१०० |

३९. अग्रिम पेशकीको जमानतको जमानतको म्याद:- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३(४) बमोजिम उपनियम (३) बमोजिमको बैडु जमानतक मान्य अवधि खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको पेशकी फछयौट गर्नु पर्ने अवधि भन्दा कम्तीमा एक महिना भन्दा बढी अवधिको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष देहायका निर्माण व्यवसायीलाई अग्रिम पेशकी प्रदान गरेकोमा नियमले तोके बमोजिम जमानतको म्याद नपग भएकोले थप गर्नपर्ने देखिन्छ।

| योजना | नियमित व्यावसायी | पेरकी जमानत | सम्झौता मिति | फटोचाट हुन वाली पेशी | कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने रूपाद यथा सहित | भावाद यथा हुनुपर्ने अवधि | जमानतको रूपाद |
|---|---|--------------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| बुद्धिमत्ता नियमित | मरम्भिकी नियमित योजना विवरित-२ पार्सिपर | २०००००० | २०७६/३/४ | ५००००० | २०७८/२/३१ | २०७८/१२/४ | २०७६/९/१४ |
| प्रशासनीय भवन नियमित | प्रशासनीय भवन कन्स्ट्रक्शन | ५०००००० २४४६००० | २०७६/६/१७ | ५०००००० २३४६००० | २०७९/१/१५ | २०७८/८/१६ | ०७३/५/१५ ०७८/३/२० |
| आधारभूत अस्थानाल भवन नियमित | ग्राम/कृष्ण लडाई जे.पी. | २१७००००० | २०७८/१/८ | २१७००००० | २०८०/१/८ | २०७९/१०/८ | ०८८/६/२९ |
| कुरामा/लिम्बा/दाँटीबाला कृषि योजना स्थानेन्टी र द्रुपाक ओपन | जानुका विल्डर्स ग्रामि. | ८००००० | २०७७/१०/९ | ८००००० | २०७८/३/८ | २०७७/४/८ | |
| | जम्मा | | | २९४६००० | | | |

४०. मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा नगरेको:- मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा २०७६/२/१५ मा भएको एकाइसौं संशोधनबाट थप भएको नियम ६ ग मा ठेका वा करार अन्तरगत वस्तु वा सेवा आपूर्ति वापतको कर भुक्तानी गर्दा कर रकमको ५० र २०७८/२/१५ देखि ३० प्रतिशत कार्यालयबाट कट्टा गरी राजथ खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस वर्ष ठेका वा करारको रकम रु. २४५२२६८९।०० भुक्तानी गर्दा रु. २८२९९९३।०० मूल्य अभिवृद्धि करको ५० र ३० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ४५८९७।४ कट्टा नगरी भुक्तानी गरेकोले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ रु.

୪୫୮୯୭୮ | ୦୦

95

~~कुमारी द्रष्टव्य~~

२०५३

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटको विवरण |
|----------------|-----------|---|--------------------------------------|----------------|
| | सेवा/सेवा | विल संख्या | विल रकम (प्राप्त रकम) | कहा भएको रकम |
| ३५-०७७/१/१६ | दोस्रो | गा.गा. प्रशासनीय भवन | ३२६१३० | १५८००८ |
| २७-०७७/१२/१६ | तेस्रो | | १५००००० | ११११४० |
| १२-०७७/१२/२८ | तेस्रो | | १५००००० | ११११४० |
| १२-०७७/१२/१६ | तेस्रो | | १५००००० | ११११४० |
| १६५-०७७/१२/२८ | तेस्रो | | १५००००० | ११११४० |
| १८७-०७८/१२/२० | तेस्रो | | १५००००० | ११११४० |
| ४२१-२०७८/१२/२० | चौथो | | १५००००० | ११११४० |
| | | कम्ता | १५२२८७८९ | १०४४२३७ |
| १६८-०७८/१२/२८ | | धरायती होर्च उर्वा जडान | उत्तरांग अन्तर्राष्ट्रीय इन्डी शालि. | ११७९६८८ |
| ४००-०७८/१२/२८ | | | २७२०५.०८ | ००.०० |
| २१४-०७८/१२/२० | | रोब भूक्ता आवि, राकाने आहोटे-२ भोज. निर्माण | साबैच कन्ट्राक्टर शालि. इमार | १२९५६०७ |
| १२-०७८/१२/३० | | यु.एस वि कलर डेवलपर, घारिद | आधार शार्केल हाउस विहारनगर | ८५०००० |
| ४१९-०७८/१२/३० | | झोलुङ्ग पूल स्टोल पार्ट्स बारिद | इन्टरेक आॉल. बुट्टन | ३०२१२२२ |
| ४-०७८/१२/२४ | | कुल जम्मा | २४५२२६८९ | १०४९४८ |
| | | | | ८५०९८९ |

४१. ल्याब टेट: - आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने विल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ। ल्याब टेट वापत भुक्तानीको रकम रु. ६०९५९।५० को बिजक बेगर भुक्तानी गरेकोले विजक पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असूल गर्नुपर्ने रु।

६०९५९।५०

| कार्य विवरण | निर्माण व्यावसायी | विल संख्या | भुक्तानी रकम |
|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| गौउपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण | सद्विवाचा निर्माण सेवा | चौथो | ६०९५९।५० |

४२. बढि भुक्तानी:- निर्माण व्यावसायीलाई संझौता बमोजिम नापी भएको हालको विलका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बुझ पार्क निर्माण वापत निर्माण व्यावसायी श्री सरस्वती निर्माण फिदिम-२ पौच्छर लाई तेश्रो रनिडविल अनुरूप रु. २८४७९८९।०० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु. २८७९९८९।०० भुक्तानी गरेकोले रु. ३१२००।०० बढि भुक्तानी गरेको रकम असूल गर्नुपर्ने रु।

३१२००।००

४३. कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम:- कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा कृषिजन्य उपज उत्पादन बृद्धिमा उत्प्रेरणा ल्याउने कृषकहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दफा ५.१ बमोजिम धान ४० मुरी वा सो भन्दा माथि र मकै ४ फुट चौडाई ४ फुट उचाई २० फुट लम्बाई भएको थाइयो उत्पादन गर्ने कृषकलाई १/१ लाख तथा आलु ३५ मन वा सो भन्दा माथि उत्पादन गर्नेलाई प्रतिकेजि रु. २० पुरस्कार राशी तथा प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाणप्रत्र दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष पुरस्कार स्वरूप देहायअनुसार १३३ जनालाई रु. १२७२४०००।०० वितरण गरेको देखियो उक्त पुरस्कार वितरण गर्नुपूर्व पूर्व बाझो जमिन एवं उत्पादनको अभिलेख र पुरस्कार वितरण पश्यात खेति भएको जमिन र उत्पादनको बृद्धि प्रतिशत अभिलेख राखेको देखिएन। उक्त धान, मकै र आलु उत्पादन गर्न लाग्ने लागत र कृषकले व्यहोर्ने अंश नछुट्टर्याई मापदण्ड तयार गरेको देखियो। अतः अभिलेख व्यवस्थापन गरी लागतमा कृषकको सहभागिता समेत समावेश हुने गरी पुरस्कार निर्धारण गर्नुपर्दछ।

| प्रोत्साहन पाउने कृषक संख्या | कार्य विवरण | प्रोत्साहन दर | जम्मा भुक्तानी |
|------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| ५ | आलु उत्पादन | २५००० | २२४०००।०० |
| ५९ | मकै उत्पादन | १००००० | ५९०००००।०० |

१६

प्राप्तित प्रतिलिपि

२०७८।१२।२५
२०७८।१२।२५
२०७८।१२।२५
२०७८।१२।२५

अतिव वृत्ति
असुख प्रसातदात

आर्थिक वर्ष २०७७।७८

व.उ.शि.न. विभिन्न कार्यालयको नाम श्री मित्ताजुड गौउपालिकाको कार्यालय, रोप, पाच्छर।

विवरण

| दफा नं. | भौ./मिति | रकम | फँक्झॉटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------------|------------------|--------------|---------------|--|--------|--------|---------------|------------------------------------|--------|--------|--|-------|--|--------|--|--|
| | ६६ १३३ | पात्र उत्पादन १००००० जग्मा प्रेत्साहन रकम १२७२४०००।०० | ६६०००००।०० १२७२४०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | <u>निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएको:-</u> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७.१३(क) मा उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिसँगको समझौता रद्द गरी त्यस्तो समितिलाई भविष्यमा कुनै किसिमको काम गर्न नदिने अभिलेख राखी निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्न समझौता गरेका उपभोक्ता समितिहरूले सडक निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीलाई दिई निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरी जारी गरेको विजक कार्यालयमा पेश गरेको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुने गरेको देखिएको छ। यसरी नियमको पालना नगरी प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभलाई सिमित पार्ने र स्थानीय स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी आफै उपभोक्ता समितिबाट हुनु पर्ने कामलाई देहायका निर्माण व्यवसायीलाई दिने उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गरी सडक निर्माणको काम प्रतिस्पर्धा गराइ सञ्चालन गरीनुपर्ने रु। | ५६०५२३२।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५. | <u>कार्यस्वीकार प्रतिवेदन नभएको:-</u> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५(२) बमोजिम कुनै निर्माण कार्य सम्पन्न भई त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधि समाप्त भएपछि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले त्यस्तो निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए नभएको जाँच गरी सार्वजनिक निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष सम्पन्न भएका देहायका निर्माण कार्यको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन बेगर भुक्तानी गरेकोले कार्यस्वीकार प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु। | ४३८७५०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th><th>उपभोक्ताता समिति</th><th>उपभोक्ता बित रकम</th><th>भुक्तानी रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१६६-०७७/१२/२९</td><td>मावाखोला मेवाखोला सडक स्तरोन्नती समिति</td><td>३१४२८५</td><td>२४३७५०</td></tr> <tr> <td>१६९-०७७/१२/३०</td><td>दिप ज्योति भान्सा घर निर्माण योजना</td><td>२५४७५०</td><td>१९५०००</td></tr> <tr> <td></td><td>जग्मा</td><td></td><td>४३८७५०</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं./मिति | उपभोक्ताता समिति | उपभोक्ता बित रकम | भुक्तानी रकम | १६६-०७७/१२/२९ | मावाखोला मेवाखोला सडक स्तरोन्नती समिति | ३१४२८५ | २४३७५० | १६९-०७७/१२/३० | दिप ज्योति भान्सा घर निर्माण योजना | २५४७५० | १९५००० | | जग्मा | | ४३८७५० | | |
| गो.भौ.नं./मिति | उपभोक्ताता समिति | उपभोक्ता बित रकम | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६६-०७७/१२/२९ | मावाखोला मेवाखोला सडक स्तरोन्नती समिति | ३१४२८५ | २४३७५० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६९-०७७/१२/३० | दिप ज्योति भान्सा घर निर्माण योजना | २५४७५० | १९५००० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जग्मा | | ४३८७५० | | | | | | | | | | | | | | | | |

१७

प्राप्तिवेदन प्रतिवेदन
प्राप्तिवेदन प्रतिवेदन
प्राप्तिवेदन प्रतिवेदन

| दफा नं. | गो.भौ.नं./मिति | कार्य विवरण | रकम | फ़ल्पौटको विवरण | | | |
|---------|---|--|------------------|-----------------|---------|------------|---------------|
| ४६. | सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको लगत तयार गर्ने:- | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९५(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त आएको सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्य समेत खुलाई सम्पति तथा जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाको जिन्सी खातामा आम्दानी गर्न छुट देखिएको र जिन्सी निरीदाण समेत नगरेकोले खरिद भएका, सहायता वा हस्तान्तरण भई प्राप्त भएका जिन्सी मालसामानको एकिन गरी आम्दानी बाँध्नुपर्ने र सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीलाई जवाफदेहि बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नमुना परीक्षण गर्दा देहायको मालसामान जिन्सी आम्दानी बाँधेको नदेखिदा आम्दानी बाँधेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु। | २३२८८९५।०० | | | | |
| | गो.भौ.नं./मिति | सामान | भुक्तानी रकम | | | | |
| | १०१/०७७/११/१८ | ल्याप्टप र कलर प्रिन्टर | ४९५८४० | | | | |
| | १९५-०७८/१/१२ | ब्रेनेटर खरिद | ८२३९९७ | | | | |
| | २५७-०७८/३/१० | मरिनरी सामान खरिद | ११८९९८ | | | | |
| | ६०-०७७/१०/२० | मोटरसाइकल खरिद | ४७४९।०० | | | | |
| | १७७-०७८/०१/०३ | डिजिटल नोटिस बोर्ड | ४९६०४० | | | | |
| | जम्मा | | २३२८८९५ | | | | |
| ४७. | बहाल कर:- | आयकर ऐन, २०५८ को दफा दद(१) बमोजिम बहाल रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतले हुने बाहल कर कट्टा गर्नुपर्नेमा देहायका व्यावसायीलाई रु. १६७०००।०० भुक्तानी गर्दा बहाल कर कट्टा नगरेको र कट्टा गरेको कम कट्टा गरेकोले रु. १५०७५।०० जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल गर्नुपर्ने देखिएको रु। | १५०७५।०० | | | | |
| | गो.भौ.नं./मिति | कार्य विवरण | व्यावसायी | भुक्तानी रकम | बहाल कर | कट्टी भएको | कम कट्टी भएको |
| | १२२-०७७/१२/०५ | होमपाइप ढुवानी | हरि थापा | ३०००० | ३००० | ७५० | २२५०।०० |
| | १३०-०७७/१२/११ | ट्याक्सी भाडा | सुजन थोष | ३९००० | ३९०० | ०० | ३९००।०० |
| | ४१७-०७८/३/३० | पाडिहरू ढुवानी | प्रकाश राई | ३५००० | ३५०० | ८७५ | २६२५।०० |
| | ३-२०७७/५/८ | सवारी सापन भाडा | जित बहादुर भुजेल | ६३००० | ६३०० | ०० | ६३००।०० |
| | जम्मा | | १६७००० | १६७०० | १६२५ | | १५०७५।०० |
| ४८. | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: | स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका बडाहरूमा सडक नाला, मोटर बाटो, प्रतिक्षालय निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष २८८ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई रु. १,४८,८९,६००। खर्च गरेको छ। लक्षित वर्गलाई २२ दिनदेखि १०० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च लेखेका छन्। उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सृजना भएको देखिन्दैन। | | | | | |
| ४९. | बढि भुक्तानी:- | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चाल निर्देशिका, २०७७ अनुसार काम गरेको श्रमिक श्रमदान अवधिको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आरुबोटे सिर्पाई कुलो | | | | | |

| दफा नं. | भौ./भैति विवरण | रकम | फळौटको विवरण |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| | अन्तर्गत २३ वटा योजनामा २८८ जना श्रमिकले श्रमदान गरेकोमा २८९ जनाको भुक्तानी गरेकोले १ जना श्रमिकको प्रतिदिन रु. ५१७। का दरले १०० दिनको ज्याता रु. ५१७००।०० बढी भुक्तानी भएकोले असुल गर्नुपर्ने रु. | ५१७००।०० | |
| ५०. | <u>कोम्बिड खर्चः-</u> कोम्बिड १९ रोकथाम नियन्वण र व्यवस्थापनमा २०७८ असार मसान्त सम्मको क्यारोनिट होलिड सेन्टर निर्माण व्यवस्थापन आइशोलेसन केन्द्र निर्माण व्यवस्थापन जनशक्ति परिचालन जोखिम भत्ता औग्धि एवं स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण अन्य शिर्कक समेत रु. ५६२९६५६।०० खर्च भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना गरी खरिद कार्य गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। | | |
| ५१. | <u>राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमः-</u> गो.भौ.नं. २०७-२०७८।३।२९ र २५७-०७८/३/२९ अनुदान पाउने निकायबाट खर्चको विवरण, वित्तिय तथा भौतिक प्रगति र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको वर्णन्तको अन्त्यमा निम्न विद्यालयलाई निकासा दिइ खाता रोका राखेकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म खर्चको विवरण, वित्तिय तथा भौतिक प्रगति र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले खर्च भएको एकिन गर्न नसकिएको हुदौ स्थानिय तहको काम भएको सिफारीस सहित कार्य सम्पन्न प्रमाण पेश गर्नुपर्ने दखिएको रु. | ९९५००००।०० | |
| <u>क्र.स.</u> | | विद्यालयको नाम | रकम रु. |
| १. | दुर्गा मा.वि. | ३६०००००।०० | |
| २. | अमरदेव मा.वि | १८०००००।०० | |
| ३. | सिंहदेवी मा.वि. | १८०००००।०० | |
| ४. | खान्दोड मा.वि. | ६५००००।०० | |
| ५. | चन्द्रोदय मा.वि. | ६५००००।०० | |
| ६. | चन्द्रेश्वर मा.वि | ६५००००।०० | |
| | जम्मा | ९९५००००।०० | |

(शिक्षा तर्फ)

५२. तलबी प्रतिवेदनः- शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार कार्यरत शिक्षकको सेवा वार्षिक तलबी प्रतिवेदन शिक्षक किताबखानाबाट पारित गरी खर्च गर्नुपर्नेमा तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको छैन। तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेखुपर्दछ।
५३. शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ.व. २०७७/७८) IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन (भिडान) गराइ शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा विद्यालयहरूलाई छात्रा छात्रवृत्ति र दलित छात्रवृत्ति (कक्षा १-८) प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. ४०० का दरले शिक्षण सिकाइ सामाग्री तथा corner व्यवस्थापनका लागि कक्षा १-५ प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. १५० का दरले कक्षा ६-१० प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. २०० का दरले प्रति विद्यार्थी इकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. ५०० का दरले कक्षा ८ को परीक्षा संशालन प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. २०० का दरले दिवा खाजा बाल

१९
X


प्राप्तिलिपि

दिनांक १५/११/२०७८
मात्र १००
२०७८

मा.वि. अधिकृत
शैक्षिक व्यवस्थापन संस्थान
नि. अध्यक्ष प्रशासनीय अधिकृत

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फ़्लौटको विवरण |
|------------|--|-------|--|-------------------|
| | | | | |
| ५४. | विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी दैनिक रु. १५। का दरले विद्यालयताई अनुदान दिने व्यवस्था छ। कार्यालयले IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन गरेको पाइएन। जसले गर्दा वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी निकासा गएको छैन भन्न सक्ने आधार भएन। कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिम IEMIS डाटालाई विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिका परीक्षामा सहभागी संख्या र अनुगमनबाट विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन गराई शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरेर मात्र अनुदान निकासा दिनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा विद्यालयको हाजिरी उपलब्ध हुन नसकेको र IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्क समेत अधावधिक नभएकोले एकिन गर्न सकिएन। पालिकाले विद्यालयको IEMIS तथ्याङ्कलाई अधावधिक गरी विद्यार्थीसंख्याको आधारमा जाने निकासा वास्तविक विद्यार्थी संख्याकै आधारमा गए नगएको एकिन गर्नु पर्दछ। | | | |
| ५५. | <u>विद्यालयगत निकासा खाता:-</u> गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयको स्थायी, अस्थायी दरबन्दी र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको नाम, नियुक्ति मिति, तलब ग्रेड र विद्यालयलाई निकासा जाने सबै रकमहरू देखिने गरी विद्यालयगत निकासा खाता राखेको देखिएन। विद्यालयलाई जाने सबै रकमहरू देखिने गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी विद्यालयगत रकम निकासाको एकिकृत अभिलेख राख्नु पर्ने देखिन्छ। | | | |
| ५६. | <u>IEMIS को तथ्याङ्क:-</u> कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ. व. २०७७/७८) मा IEMIS मा प्रविष्ट, तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन (भिडान) गराई शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोको आधारमा विद्यालयहरूलाई दिवाखाजा छात्रवृत्ति एवम पाठ्यपुस्तक, लगायतका शिर्पकमा निकासा हुनुपर्दछ। पालिकाले अनुगमनगरी वास्तविक विद्यार्थी संख्याको आधारमा IEMIS मा तथ्याङ्क अधावधिक गरी सोही आधारमा निकासा गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। अत गाउँपालिकाले निकासा गरेको छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, सि एस एन एस, विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन र अन्य व्यवस्थापन लगायतको विद्यार्थी संख्याको आधारमा निकासा हुने सबै अनुदानहरूको सम्बन्धमा विद्यालयले अनुगमन गरी एकिन गरिनु पर्दछ। | | | |
| ५७. | <u>दिवा खाजा:-</u> कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ. व. २०७७/७८) मा IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन (भिडान) गराई शिक्षा, अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा विद्यालयहरूलाई बाल विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म प्रति, विद्यार्थी दैनिक रु. १५ का दरले विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ। कार्यालयले IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई अधावधिक नगरी एवम कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन नगरी दिवा खाजा व्यवस्थापन वापत निकासा भएको छ। IEMIS अधावधिक, नभएको र दैनिक हाजिरी एवम खर्चको विल भरपाई समेत पेश भएको छैन। अत गाउँपालिकाले अनुगमन गरी, हाजिर भएका वास्तविक विद्यार्थी संख्यालाई दिवा खाजा खुवाए/नखुवाएको एकिन गर्नु पर्दछ। | २० | <i>अमितलाल</i> <i>अमितलाल</i> <i>अमितलाल</i> | |

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटोको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|------------|----------|-------|-----|-------|--|--------------|----------|-------|-----|-------|--|----------|--|-------|-----|-------|--|
| ५७. | <u>पर्व भत्ता:-</u> नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ निर्णयानुसार निर्णय (क) बमोजिम कम्तीमा छ (६) महिना करार सेवा गरेमा सालबसाली रूपमा एक (१) महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बरावरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यावस्था छ। यस वर्ष पालिकाले देहायका विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा छ महिना सेवा अवधि नपुगेका करार शिक्षकहरूको चाडपर्व भुक्तानी परिपत्र विपरित भएकोले असूल गर्नुपर्ने रु। | | ५२६८८।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>विद्यालय</th><th>शिक्षकको नाम</th><th>नियती निवि</th><th>दरो भत्ता वापा भुक्तानी रूपमा</th><th>कर कठी</th><th>धूर वटी भुक्तानी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुम्हेन्द्रेश्वर आ.पि.लेखान्ते</td><td>मीनांड राई</td><td>२०७७/६/१</td><td>२६६९०</td><td>२६६</td><td>२६३४४</td></tr> <tr> <td></td><td>मुक्ता गाथिम</td><td>२०७७/६/१</td><td>२६६९०</td><td>२६६</td><td>२६३४४</td></tr> <tr> <td></td><td>जगता राम</td><td></td><td>५३२२०</td><td>५३२</td><td>५२८८८</td></tr> </tbody> </table> | विद्यालय | शिक्षकको नाम | नियती निवि | दरो भत्ता वापा भुक्तानी रूपमा | कर कठी | धूर वटी भुक्तानी | कुम्हेन्द्रेश्वर आ.पि.लेखान्ते | मीनांड राई | २०७७/६/१ | २६६९० | २६६ | २६३४४ | | मुक्ता गाथिम | २०७७/६/१ | २६६९० | २६६ | २६३४४ | | जगता राम | | ५३२२० | ५३२ | ५२८८८ | |
| विद्यालय | शिक्षकको नाम | नियती निवि | दरो भत्ता वापा भुक्तानी रूपमा | कर कठी | धूर वटी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुम्हेन्द्रेश्वर आ.पि.लेखान्ते | मीनांड राई | २०७७/६/१ | २६६९० | २६६ | २६३४४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मुक्ता गाथिम | २०७७/६/१ | २६६९० | २६६ | २६३४४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जगता राम | | ५३२२० | ५३२ | ५२८८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५८. | <u>पाठ्यपुस्तक वितरण:-</u> पाठ्य पुस्तकको अनुदान निकासा गर्दा विद्यार्थिको संख्या एकिन गरि आवश्यक बमोजिम रकम निकासा गर्नुपर्दछ। विद्यालयको विल, वितरण भरपाई पेश नभएकोले निकासा भएको रकम सदुपयोग भयो भएन एकिन गर्न सकिएन। पालिकाले निकासा भएको रकम विद्यार्थिको यथार्थ संख्या, विल रकम र वितरण भरपाई बमोजिम भए नभएको भिडान गरी एकिन गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५९. | <u>शिक्षक विद्यार्थी अनुपात:-</u> शिक्षा ऐन, २०२८ को (नवौ संसोधन २०७४) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को (नवौ संसोधन, २०७४) बमोजिम पहाडी क्षेत्रमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:४५ भएको र यस वर्ष यस गाउँपालिका अन्तर्गतका ५६ विद्यालयमा २६३ शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा विद्यार्थी संख्या ५०७९ रहेकोले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:१९ रहेको देखियो। विद्यार्थी संख्या, औगोलिक अवस्था, विद्यालय पुरन लाग्ने समय, दुरी तथा पढाईबाट बचित नहुने आदि अवस्था विचार गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यस वर्ष सो कार्य भएको देखिएन। अतः गौउपालिका समेतले अनुगमन गरी गाउँपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई र स्थानीय समुदायबीच समन्वयको व्यवस्था मिलाई शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय गाभ्ने कार्यमा सहजता ल्याउनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०. | <u>लेखापरीक्षण:-</u> आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५६ वटा विद्यालय मध्ये कुनै पनि विद्यालयले लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गराउन विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउनु पर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>स्वास्थ्य तर्फः-</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१. | <u>औषधि खरिदः-</u> सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी हुनगरी खरिद गर्नुपर्दछ। गौउपालिकाले यस वर्ष रु. ७८ लाख ३१ हजारको निशुल्क वितरण गर्ने औषधीहरू खरिद गरी अन्तर्गतका ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट औषधीका माग संकलन गरी औषधीको नाम तथा परिमाण खुलाई पटक पटक खरिद गरेको छ। यसरी खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा र मितव्ययी भएको देखिदैन। खरिद कार्यलाई प्रभावकारी बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यम अपनाई खरिद गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धि देखिएको व्याहोराहरू निम्नानुसार छन्: | २१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फळ्होटको विवरण |
|------------|---|-------|-------------------|-------------------|
| ६१.१. | खरिद गर्ने पूर्व लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयहरूको बाँकी मौज्जात एकिन नगरेको, | | | |
| ६१.२. | आपूर्ति हुने औषधी डब्ल्यु.एच.ओ. सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधीको उत्पादन मिति, व्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञाबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधी विक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको, | | | |
| ६१.३. | आपूर्ति भएका औषधी एवम् सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशिफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा एकिन गर्न सकिएन। | | | |
| ६१.४. | औषधीको जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, | | | |
| ६१.५. | तसर्थ, औषधीको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधी प्राप्त भएको नभएको एकिन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधीको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधीहरूको जिम्मेवारीलाई जिन्सी अभिलेख खातामा व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। | | | |
| ६१.६. | <u>खरिद औषधिको उत्पादन एवं म्याद गुणेको:-</u> प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यक्रम निर्देशिका २०७४। ७५ बमोजिम औषधि खरिद गर्दा १८ महिना अवधि भएको वा Self Life को दुई तिहाई अवधि भएको औषधि मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदनमा म्याद नाधेका औषधिका सम्बन्धमा म.ले.प. को सुझाव बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। कार्यालयले खरिद गरेका र हस्तान्तरण भई आएका विभिन्न प्रकारका औषधि तथा सर्जिकल सामानहरूमध्ये ५ प्रकारका औषधिहरूको परीक्षण गर्दा उत्पादन एवं म्याद गुणेको औषधिहरूको अवस्थाका सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्नानुसार छन। | | | |
| क्र.सं. | औषधि/सर्जिकल सामानहरूको नाम | इकाई | म्याद समाप्त मिति | |
| १. | Ferrus sulphate+Folic Acid | Tab | २०२१-७-३१ | |
| २. | RUTF | Pkt | २०२१-१-३१ | |
| ३. | Dexamethasone 4 mg | Vial | २०२१-१-३१ | |
| ४. | inj metronidazole | Ph | २०२१-१-३१ | |
| ५. | inj Vitamin K 1 ml | Amule | २०२१-४-३० | |
| ६. | Sulphamethoxazole 800+Trimethoprim 160 | Tab | २०२१-३-३१ | |
| ७. | Determine HIV Test Kits (PMTCT) | Pc | २०२१-८-३१ | |
| ८. | inj Hydrocortisone | Vial | २०२१-३-३१ | |
| ९. | inj Amoxicillin 875+Clavulanin Acid 125 | vial | २०२१-७-३१ | |
| १०. | inj Oxytocin 5 unit | Amule | २०२१-३-३१ | |
| ११. | Viral Transport Medium (VTM)-covid-19 | Pc | २०२१-७-३१ | |
| १२. | Viral Transport Medium(vm)-COVID-19 | Pc | २०२१-४-३० | |
| १३. | Rapid Diagnostics Test Kit for Covid | Pc | २०२१-३-२४ | |
| १४. | Oint Clotrimazole 20 gm | Tube | २०२१-७-३१ | |

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फल्गुटको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------|----------------|------------|------------|----------|------------|----|--------------|-----|----------|----------|-------|----|---------------------|-----|---------|----------|------|----|-----------------|-----|----------|----------|--------|----|-------------------------|-----|----------|---------|-------|--|-------|--|-----------|----------|--------|--|--|
| | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतः:- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६.२. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण लगतकहा तथा भत्ता वितरण लगायत यससँग सम्बन्धित विविध व्यवस्थाहरु गरेको छ। यस वर्ष पालिकाले ४ बटा बैंकलाई रु. ६१००५.१८०।०० निकासा दिएकोमा रु. ६,०७,५३,७०८।०० खर्च गरी रु. २५५४७२। फिर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६.२.१. | सामाजिक सुरक्षा खर्च:- बैंकले लाभग्राहिलाई वितरण गरेको खर्च रकम जोडजम्मा गरी प्रमाणित गर्नु पर्दछ। देहायका बैंक मार्फत लाभग्राहिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा सम्बन्धि बैंकले लाभग्राहीको खातामा भत्ता रकम जम्मा गरेको विवरण पेश गरेकोमा जोडजम्मा गरी प्रमाणित नभएकोले खर्च रकम एकिन गर्न सकिएन। अतः पालिकाले बैंकबाट प्राप्त खर्च विवरण जोडजम्मा गरी खर्च रकम एकिन गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>बैंक</th><th>बठा</th><th>निकासा रकम</th><th>खर्च रकम</th><th>फिर्ता रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td><td>स्पिनेस बैंक</td><td>१२२</td><td>१४२६४३१९</td><td>१४२५२३१९</td><td>१२०००</td></tr> <tr> <td>२.</td><td>गोल्ड फाइनान्स बैंक</td><td>३२४</td><td>१६८३४०६</td><td>१६८२०८२८</td><td>१३७८</td></tr> <tr> <td>३.</td><td>कृषि विकास बैंक</td><td>५२६</td><td>१५२८१५०८</td><td>१५०८२११४</td><td>१९९३९४</td></tr> <tr> <td>४.</td><td>सासकोरी डेभोपमेन्ट बैंक</td><td>७२८</td><td>१४६२५०४७</td><td>१४५९८४७</td><td>३०६००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>६१००५.१८०</td><td>६०७५३७०८</td><td>२५५४७२</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | बैंक | बठा | निकासा रकम | खर्च रकम | फिर्ता रकम | १. | स्पिनेस बैंक | १२२ | १४२६४३१९ | १४२५२३१९ | १२००० | २. | गोल्ड फाइनान्स बैंक | ३२४ | १६८३४०६ | १६८२०८२८ | १३७८ | ३. | कृषि विकास बैंक | ५२६ | १५२८१५०८ | १५०८२११४ | १९९३९४ | ४. | सासकोरी डेभोपमेन्ट बैंक | ७२८ | १४६२५०४७ | १४५९८४७ | ३०६०० | | जम्मा | | ६१००५.१८० | ६०७५३७०८ | २५५४७२ | | |
| सि.नं. | बैंक | बठा | निकासा रकम | खर्च रकम | फिर्ता रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | स्पिनेस बैंक | १२२ | १४२६४३१९ | १४२५२३१९ | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | गोल्ड फाइनान्स बैंक | ३२४ | १६८३४०६ | १६८२०८२८ | १३७८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | कृषि विकास बैंक | ५२६ | १५२८१५०८ | १५०८२११४ | १९९३९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | सासकोरी डेभोपमेन्ट बैंक | ७२८ | १४६२५०४७ | १४५९८४७ | ३०६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ६१००५.१८० | ६०७५३७०८ | २५५४७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६.२.२. | संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने:- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरी बाँकी रहेको रकम संघीय संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले दिएको विवरण अनुसार खर्च नभई बाँकी रहको रु. २५५४७२।०० मध्ये रु. २४३४७२।०० संघीय संचित कोषमा दाखिला भएकोले फिर्ता गर्न बाँकी रु. १२०००।०० फिर्ता दाखिला हुनुपर्ने देखिएको रु. | | १२०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६.२.३. | वितरण व्यवस्था:- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १६ मा पालिकाले प्रथम चौमासिक भत्ता असोज १ गतेबाट दोश्रो हसाभित्र दोश्रो चौमासिक माघको १ गतेबाट दोश्रो हसाभित्र र तेश्रो चौमासिक जेठको १ गतेबाट दोश्रो हसाभित्र भूक्तानी गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले यस वर्ष प्रथम चौमासिकको रकम तोकिएको समयमा निकाशा गरेको देखिएन। कार्यविधिले तोकेको समयमा नै लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६.२.४. | निरीक्षण तथा अनुगमन:- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमित केन्द्रीय पञ्चीकरण विभागले विशेष सूचक बनाइ तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले भत्ता वितरण कार्य प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि यस वर्ष सम्बन्धित निकायले कार्यविधि अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको पाइएन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

२३

मुमार्ग विवरण
मेरा नाम: रामेश रामेश
मेरा नाम: रामेश रामेश

मेरा नाम: रामेश रामेश
मेरा नाम: रामेश रामेश

मेरा नाम: रामेश रामेश
मेरा नाम: रामेश रामेश

अन्तिम प्रस्ताव
लिख्या दिन: २०७३।७।२५
लिख्या दिन: २०७३।७।२५

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | रकम | फछौटको विवरण |
|---------|---|---|-----|--------------|
| ६२.५. | <u>सार्वजनिक सुनुवाईः-</u> | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३५ बमोजिम वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एक पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि सार्वजनिक सुनुवाई गरी जनगुनासो सम्बोधन गरेको छैन। कार्यविधिले तोकेको समयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्दछ। | | |
| ६२.६. | <u>बैंकमार्फत भुक्तानीः-</u> | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २२ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम सिभिल बैंक, सप्तकोशी विकास बैंक, कृषि विकास बैंक र गोखांज फाइनान्समार्फत मात्र लाभग्राहीको खातामा उपलब्ध गराएको छ। | | |
| ६२.७. | <u>एम.आई.एस. मा प्रविष्टिः-</u> | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १० बमोजिम स्थानीय तहले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनुसुची ५ बमोजिमको मूल अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रत्येक वडा कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै लाभग्राहीको तोकिए बमोजिमको विवरण निर्दिष्ट समयभित्र एम.आई.एस. मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले तोकिएको समयमा एम.आई.एस. अभिलेख राखेको देखिएन। | | |
| ६२.८. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७२ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटोसहितको मूल अभिलेख राख्नुपर्ने सो अभिलेखबाट प्रत्येक वर्ष मृत्यु भएका तथा वसाई सरेका लाभग्राहीको लगत कट्टी गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष लाभग्राहीको परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले वसाई सराई र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण तयार गरेको पाइएन। जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भए नभएको यकिन गर्न सकिएन। | | | |
| ६२.९. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ को दफा ३८ मा प्रत्येक गौउपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता/वृति प्राप्त गर्न योग्य भएका सबै लक्षित समूहले नयाँ परिचयपत्रका लागि दिएका निवेदन उपर छानबिन गरी परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम प्रवाहको स्थानीयस्तरमा अनुगमन गर्न गौउपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रमुख वा सो जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीको अध्यक्षतामा एक स्थानीय सामाजिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार जिल्लाका गौउपालिकाले स्थानीय सामाजिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरी परिचयपत्र वितरण संख्या, नवीकरण गरिएको संख्या र लगत कट्टा गरिएको संख्याको निर्णयसहितको स्पष्ट विवरण पेश गरेको पाइएन। | | | |
| ६३. | <u>आन्तरिक आम्दानीः</u> - कार्यालयले जिन्सी किताबमा गत वर्षको बाँकी, यस वर्षको खरिद, खर्च र बाँकी नगदी रसिदको अभिलेख राख्नुपर्ने र जिन्सी किताबाट खर्च लेखेको रसिद नियन्वण खातामा आम्दानी जनाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आम्दानी रकम उठाउने कर्मचारी जिम्मामा देखिने गरी नगदी रसिद नियन्वण खाता राख्नुपर्ने र वर्षान्तमा कारोबार बन्द भएपश्चात खर्च गर्न बाँकी रसिद फिर्ता गरी अभिलेख व्यवस्थित | | | |

24

गुरुभिर्गुरुविना

१०८, विजय
नगर १, चेपारा
२०८३

अंतिम प्रसाद
मि. परमुच्च प्रशासनकार्य

| दफा नं. | भौ./मिति | विवरण | | | | | | रकम | फछ्यौटको विवरण |
|------------|----------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------|----------------|
| | उपलेख संख्या | | | | | | | | |
| २०७८/०२/२१ | लोटो बुलो जल उपलेख सर्वा | ८३२००० | ० | ० | ८३२००० | ० | ८३२००० | | |
| २०७८/०२/३१ | चौतरेतीकुलो जल उपलेख सर्वा | ८३२००० | ० | ० | ८३२००० | ० | ८३२००० | | |
| २०७८/०२/२३ | नामपात्र जल उ.स. | ८३२००० | ००.०० | ० | ८३२००० | ००.०० | ८३२००० | | |
| | कुल जमा | २०६७५००० | ११४७००० | ७७२९००० | ० | ३८७०१००० | ११४३००० | ३९५५१००० | |

६६. सेवा प्रवाहः- गाउपालिकाले पेश गरेको सेवा प्रवाह सम्बन्धि विवरण देहाय अनुसार रहेको छ। गाउपालिकाले प्रदान गरेका सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सेवाको मूल्याङ्कन गरीनुपर्दछ।

| विवरण | निवेदन दर्ता | सिफारिस भएको संख्या |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| स्थीकृत घरनक्सा दर्ता पास | - | - |
| पञ्चिकरणतर्फ | | |
| जन्मदर्ता | ७७४ | ७७४ |
| मृत्युदर्ता | १९० | १९० |
| बसाईसराई दर्ता | २५१ | २५१ |
| विवाह दर्ता | २४३ | २४३ |
| सम्बन्धविच्छेद दर्ता | ८ | ८ |
| कालोपत्रे सदक निर्माण | २.५ कि.मि | - |
| ग्रामेल सदक निर्माण | २५ कि.मि | २५ कि.मि |

६७. आन्तरिक लेखापरीक्षणः- स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समास भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ। पालिकाले यस वर्षको अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण र राजधानी बाहेक अन्य आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन। तसर्थ कानुनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।

६८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निम्नानुसार देखिएको छ।

| गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (क) | यो वर्ष फछ्यौट (ख) | बाँकी (ग)=(क)-(ख) |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| १८०७५०००।०० | ००.०० | १८०७५०००।०० |

६९. अद्यावधिक बेरुजु स्थिति:- मिकलाजुड गाउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ।

| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (ग) | यो वर्षको सं.पं. बाट कायम बेरुजु रु. (घ) | यो वर्षको कायम बेरुजु रु. (ड) | बाँकी घ = (ग+घ-ड) |
|---|--|-------------------------------|-------------------|
| १८०७५०००।०० | ००।०० | ६,९९,८२,०८।८० | ८७२५७०८।८० |

उल्लेखित ऐन बमोजिम फछ्यौट गर्न बाँकी सम्पूर्ण बेरुजु रकम असुल फछ्यौट गरिनुपर्दछ।

(हिरा बहादुर खत्री)
लेखापरीक्षण अधिकारी

(कृष्ण बहादुर खत्री)
लेखापरीक्षण अधिकारी

(रामबहादुर पन्त)
लेखापरीक्षण अधिकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि
मिकलाजुड गाउपालिका
दफा ८४ ले बेरुजु फछ्यौट
२०७८।७८ अद्यावधिक बेरुजु
फ्रान्स बहादुर प्रशासनकोष